तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	11-5-2022 आज यह पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 03 ता 06 की ओर से श्री सुरेश चन्द यादव एवं अप्रार्थी संख्या 07 की ओर से सत्यवीर चौधरी ने वकालतनामा पेश किया तथा वकील प्रार्थी ने रसीद डाकखाना पेश की। प्रस्तुत रसीद डाकखाना वास्ते तस्दीक का गौर किया गया। जिसके मुताबिक अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 बावजूद विधिवत सूचना अनुपस्थित रहे। जिसके आधार पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है वकील प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी कराये जाने को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। सुना गया पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा नकल जमाबंदीयात एवं मौका पर्चा रिपोर्ट यथा श्रीमान जिला कलेक्टर (भू॰अ॰) अलवर के आदेश क्रमांक 11353 दिनांक 12-7-2021 की पालना में तहसीलदार मुण्डावर के पत्रांक 457-459 दिनांक 23-9-2021 द्वारा की [illegible] के माध्यम से की गई सीमाज्ञान की प्रमाणित प्रति मय राजस्व [illegible] अवलोकन के आधार पर यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है। **आदेश** अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:30:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो इस ... में
	प्रार्थी द्वारा हाल आराजी खसरा नम्बर 996/0-22 है० वाके ग्राम जखराई के बाबत की कराये जाने पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111, भू०राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है एवं नकल सीमाज्ञान दिनांक 15-12-2021, की गई सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही कराये जाने पत्थरगढ़ी तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल जिला रेकर्ड भण्डार हो। सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:30:43 IST
Reason: SelfAttested